Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में दहेज उत्पीडन, गाली-गलौच व मारपीट करने के आरोपियों कर्मबीर सिंह, अमरपाल सिंह, सुमित्रा, नीरज, रूबी, राजीव व राहुल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई 03 वर्ष के कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में अभियुक्तों 1.कर्मबीर सिंह पुत्र करतार सिंह, 2.अमरपाल सिंह पुत्र कर्मवीर सिंह, 3.सुमित्रा पत्नी कर्मवीर सिंह निवासीगण ग्राम छुर थाना सरधना जनपद मेरठ, 4.नीरज पुत्री कर्मवीर सिंह, 5.रूबी पुत्री कर्मवीर सिंह, 6.राजीव पुत्र गांधीराम व 7.राहुल पुत्र गांधीराम निवासीगण ग्राम कैलाशनगर थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वादिया का दहेज के लिए उत्पीडन करना व गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में महिला थाना बागपत पर मु0अ0सं0 28/2015 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी कोर्ट-01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों कर्मबीर सिंह, अमरपाल सिंह, सुमित्रा, नीरज, रूबी, राजीव व राहुल को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास व 27 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice   baghpatpolice   Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक 21.02.2025**

थाना दोघट पुलिस एवं स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 34/2025 धारा 109 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में तथा अन्य 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.02.2025 को वादी गौरव पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम निस्तौली थाना टिला मोड जनपद गाजियाबाद द्वारा डायल-112 को सूचना दी तथा थाना दोघट पर तहरीर दी कि मोटरसाईकिल पैशन प्रो रंग काला पर सवार 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की पत्नी व बेटी को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी है, जिससे दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 34/2025 धारा 109 बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान संदिग्ध व प्रर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर वादी से पूछताछ की गयी तो उक्त घटना वादी द्वारा ही अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र पुत्र सुभाष निवासी ग्राम जसनावली थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी जावली थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष व 2.सोनू पुत्र भानुप्रकाश निवासी मैहमदपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 27 वर्ष 3. कैलाश सिंह पुत्र ब्रहमसिंह निवासी भटौला थाना शिकारपुर बुलन्दशहर 4. पंकज पुत्र ज्ञानसिंह निवासी मुढिया खेडा थाना भिण्ड जनपद भिण्ड को रूपयो का लालच देकर अपनी पत्नी नीतू को जान से मारने के लिये गोली चलवाई थी।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस

एवं स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 34/2025 धारा 109 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड 02 अभियुक्तों को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। उक्त अभियोग के वादी गौरव पुत्र तेजवीर, तांत्रिक कैलाश व पंकज (कुल 05 अभियुक्तों) को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1-देवेन्द्र पुत्र सुभाष निवासी ग्राम जसनावली थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी जावली थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष (घायल)

2-सोनू पुत्र भानुप्रकाश निवासी मैहमदपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 27 वर्ष (घायल)

3- कैलाश सिंह पुत्र ब्रहमसिंह निवासी भटौला थाना शिकारपुर बुलन्दशहर

4- पंकज पुत्र ज्ञानसिंह निवासी मुढिया खेडा थाना भिण्ड जनपद भिण्ड (मध्य प्रदेश)

5- गौरव पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम निस्तौली थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त गौरव पुत्र तेजवीर सिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी तांत्रिक कैलाश पुत्र स्व0 ब्रह्मसिंह बाल्मिकी से पूर्व से जान पहचान थी। मेरी पत्नी से आये दिन मेरा झगडा फसाद होता था, इसी के चलते मैने तांत्रिक बाबा कैलाश से उससे पीछा छुडवाने के लिए कहा तो उन्होने सोनू पुत्र भानू प्रकाश से 5 लाख रुपये में पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए बात की थी। हमने उसको मारने के लिए सोनू, देवेन्द्र, पंकज, सौरव व तांत्रिक कैलाश के साथ योजना बनाई थी, योजना के अनुसार दिनांक 09.02.2025 को देवेन्द्र व सौरव पैशन प्रो गाडी बिना नम्बर से आये तथा दाहा बरनावा मोड पर मोटरसाइकिल मेरी गाडी से टच कर दी तो मैंने गाडी से उतरकर योजना के मुताबिक मोटरसाइकिल पर बैठे देवेन्द्र व सौरव के साथ मारपीट कर दी थी, जैसे ही गाडी से नीतू व अदिरा उतरे तो दोनों शूटरो ने उनको गोली मार दी और वहां से भाग गये।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो रंग काला बिना नम्बर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

2.स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री सूर्यदीप सिंह बागपत।

3.व0उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
4.उ0नि0 विपिन गौतम थाना दोघट जनपद बागपत।
5.उ0नि0 श्री सौम्य कृष्णात्रेय थाना दोघट जनपद बागपत।
6.उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत
7.उ0नि0 श्री मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत।
8.उ0नि0 श्री सतीश कुमार स्वाट टीम बागपत।
9.है0का0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम बागपत।
10.है0का0 489 सुनील कुमार स्वाट टीम बागपत।
11.है0का0 680 अमरजीत स्वाट टीम बागपत।
12.का0 25 राजीव कुमार स्वाट टीम बागपत।
13.का0 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम बागपत।
14.का0 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम बागपत।
15.का0 402 विशाल पूनिया स्वाट टीम बागपत।
16.का0 1055 सुचेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
17.का0 951 पिताम्बर थाना दोघट जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस